Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

मुंशीलाल जाट — [illegible]

किस्म मुकदमा 212 R.T Act प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] अधीन धारा — मु.नं. 51/2017

Remis No 2017/0267

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26/7/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश मे बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 15.9.2021 को पेश हो।	
15/9/2021	वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के सिद्ध प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः दिनांक 06.11.2017 को नायब तहसीलदार कुचामन सिटी का ता-कब्जा यथास्थिति बहाल किया जाता है। [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:35 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)